# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 85/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रज्जू : 20.08.2025 निर्णय दिनांक : 31.10.2025

उनवान

1. अमित पुत्र राधेश्याम, जाति अहीर, निवासी वार्ड नम्बर 26 इन्द्रा कॉलोनी, बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। – प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान,
2. गीता पुत्री राधेश्याम पत्नि राकेश, जाति अहीर, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान, हाल निवासी मन्दोला, तहसील व जिला रेवाडी, हरियाणा,
3. सीता पुत्री राधेश्याम, जाति अहीर, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान,
4. अनिता पुत्री राधेश्याम पत्नि विनोद, जाति अहीर, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान, हाल निवासी मन्दोला, तहसील व जिला रेवाडी, हरियाणा,
5. सरला पुत्री राधेश्याम पत्नि राकेश, निवासी निहालगढ, तहसील दादरी, जिला झज्जर, हरियाणा,
6. मंजू पत्नि धर्मेन्द्र, जाति अहीर, निवासी खेडकी, तहसील बहरोड, हाल नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान। – अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्रीमती संजू यादव अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विनोद कुमार यादव अधिवक्ता – अप्रार्थी संख्या 03, 05, 06 की ओर से।

## ।। निर्णय ।।

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के समक्ष उनवानी प्रकरण अमित बनाम गीता वगै0, प्रकरण संख्या 76/2024 मय स्थगन विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 03, 05, 06 की ओर से वकील श्री विनोद कुमार यादव ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।
3. वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद अनुवानी अमित बनाम गीता वगैरह, मुकदमा नम्बर 76/2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड में जेरकार है। उपरोक्त उनवानी वाद उपखण्ड अधिकारी बहरोड के समक्ष वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का आराजी खसरा नम्बर 147/0.62, 162/0.43, 167/0.38, 170/0.29, 475/1.32 वाके **ग्राम बहरोड तरफ बलराम के बाबत पेश किया गया है। उक्त आराजी पर वादी** अपने पिता के फुटस्टेप पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर किसी किस्म का कोई कब्जा काश्त नही है, प्रतिवादीगण अपने ससुराल रहती है और प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वाद में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया कि प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर जबरन कब्जा ना करे, किसी प्रकार का निर्माण ना करे, वादी को बेदखल ना करे, उक्त आराजी को कनवर्ट ना कराये, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त वाद में पीठासीन अधिकारी पूर्णतया प्रतिवादीगण के असर में है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा आये दिन ऐलानियां कहा जाता है कि उन्होने पीठासीन अधिकारी से बातचीत कर ली है और वादी का दावा खारिज करवाकर काउण्टर क्लेम डिकी करवा दिया जायेगा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण के असर के चलते प्रकरण में बहुत ही नजदीक नजदीक की तारीखे दो–दो, चार–चार दिन की दी जा रही है जिससे जाहिर है कि पीठासीन अधिकारी आनन फानन में उक्त वाद में खारिज कर प्रतिवादीगण

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

का काउण्टर क्लेम डिकी करने पर आमादा है। जबकि पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया काउण्टर क्लेम चलने योगय नही है। प्रतिवादीगण की धमकियो व पीठासीन अधिकारी के द्वारा पत्रावली पर दी जाने वाली तारीखो के मद्देनजर वादी को न्याय की उम्मीद नही होने के कारण वादी द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र इस अमर का पेश किया गया था कि वादी को प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष में काउण्टर क्लेम डिकी करवाने की धमकी दी जा रही है। ऐसी सूरत में पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रतिवादीगण भूमाफिया है व संख्या बल बहुबल एंव धनबल युक्त है और उनके द्वारा ऐसी ऐलानियां धमकी देने से वादी को यह आभास हो गया है कि वादी को न्याय प्राप्त नही होगा। न्याय होने के लिये न्याय की यह मंशा रहती है कि न्याय की प्राप्ति के साथ साथ सभी पक्षकारो को यह प्रदर्शित होना चाहिये कि उन्हे न्याय प्राप्त होगा, यदि पक्षकारो को न्याय नही प्राप्त होने का अंदेशा हो तो प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना विधि अनुरूप व न्यायसंगत है। अप्रार्थी पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लेने के कारण एवं उसकी ऐलानियां घोषणा होने के कारण एंव पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने का आभास हो जाने के कारण यदि दावे को अन्यत्र स्थानान्तरित नही किया गया तो उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ वादी के वाद को खारिज कर देगे । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद अनुवानी अमित बनाम गीता वगैरह, मुकदमा नम्बर 76/2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड को अन्यत्र किसी भी सक्षम अधिकारी के मुन्तलिक किये जाने की आज्ञा प्रदान करे ।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 03, 05, 06 ने बहस के दौरान वकील प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में वादी व प्रतिवादनीगण सगे भाई बहन है। सभी के नाम उक्त आराजी का इंतकाल विधिनुसार हिन्दू उत्तराधिकार के नाम तहत दर्ज हुआ है। वादी अकेला पिता कि फुटस्टेप पर काबिज नही है बल्कि सभी काबिज है। ससुराल में रहने से प्रतिवादीनी के अधिकार खत्म नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय स्थगन आदेश प्रभावी है तथा प्रकरण में तनकी कायम हो चुकी है। वादी को साक्ष्य वादी हेतु अनेक अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी के अवसर बन्द किये गये थे जिसे पीठासीन अधीकारी पर लगाये गये सभी आरोप गलत एवं बेबुनियाद है। प्रार्थी ने केवल अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी का उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

6. वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन करने उपरान्त स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश प्रार्थी को मिला हुआ है, तथा प्रकरण साक्ष्य वादी/प्रतिवादी के स्तर पर लम्बित है। प्रार्थी ने केवल शंका के आधार पर उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया जो सही प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं। इस प्रकार केवल शंका के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को भिजवाई जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली–बहरोड़

(प्रियंका गोस्वामी)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़